न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/77/2014

उनवान

1. सुरेन्द्र उर्फ महेन्द्र पुत्र उदा नाई निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. देवेन्द्र पुत्र उदा नाई निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. सुरेश पुत्र उदा नाई निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. लाली पुत्री उदा नाई पत्नि विश्णु नाई निवासी ि ावनगर तहसील हुरडा जिला भीलवाडा हाल निवासी पनोतिया, शाहपुरा जिला भीलवाडा
5. ममता पुत्र शोकिन पत्नी बुद्धिप्रकाश नाई निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा हाल निवासी पनोतिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
6. मदन पिता नन्दा नाई निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
7. शंकर पिता नन्दा नाई निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

.....अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हुरडा जिला भीलवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 14/2004 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2007

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अभिभाषक : 1. श्री गोपाल अजमेरा , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 16.11.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 42 बी, 175, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शिवनगर तहसील हुरडा में वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 गणेश पुत्र प्रताप चमार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.7.1957 को क्रयसुदा आराजी नम्बर 143 रकबा 13 बिस्वा 144 रकबा 2 बिस्वा, 145 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 160 रकबा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 161 रकबा 3 बीघा कुल किता 5 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त में चली आ रही है। जिसके नये नम्बर 146 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, 148 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 162 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा किता 3 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा कायम किये जिस पर आज दिन तक वादीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। परन्तु राजस्व रेकार्ड में नाम प्रतिवादी संख्या 1 का ही दर्ज है। वादीगण ने उक्त आराजी को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को निवेदन किया परन्तु उक्त आराजी अनुसूचित जाति के सदस्य की होने से वादीगण के नाम खाता खोलने से आनाकानी की । अतः वादग्रस्त भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादीगण का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वाद पत्र खारिज किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुंत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वादीगण के अधीनस्थ न्यायालय में बयान कराने के बाद निर्देशित किया कि जब भी आवश्यकता होगी । वादीगण को सूचित कर दिया जायेगा । परन्तु अधिवक्ता ने वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने की कोई जानकारी अपीलार्थीगण/वादीगण को नहीं दी। जब वादग्रस्त आराजियात को बिलानाम दर्ज करने के उपरान्त धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही अपीलार्थीगण के विरूद्ध अमल में लाई गई । तब जाकर अपीलार्थीगण ने जानकारी की तो पता चला कि अपीलार्थीगण/वादीगण के अधिवक्ता श्री रतन सिंह जी मेहता का निधन हो गया । उसके बाद पता किया तो अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थीगण को हुई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी जिसके साबिक नम्बर 143 लगायत 145, 160 एवं 161 कुल किता 5 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा जो कि प्रतिवादी संख्या 1 गणेश पिता प्रताप चमार से दिनांक 25.7.1957 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। तभी से अपीलार्थीगण/वादीगण का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त आराजियात के हाल आराजी नम्बर 146, 148, 162, कुल किता 3 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा कायम किये गये है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर क्रय तिथि से अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है परन्तु राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/वादीगण ने वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजियात को अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा भूमि का अन्तरण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए यह वर्णित किया कि वादीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य या नजीर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रकट हो कि नोन एस सी के व्यक्ति के द्वारा रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर एस सी के व्यक्ति से खरीदी गई भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता हो। जबकि अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात को 25.7.1957 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी को उक्त आराजियात का प्रतिफल अदा कर कब्जा प्राप्त किया था । उक्त दिनांक को धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं था। क्योंकि धारा 42 को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पुर्नसंशोधित दिनांक 1.5.1964 को किया जाकर जो धारा 42 नवीन तौर पर प्रतिस्थापित की गई । उसमें इस आशय का प्रतिबन्ध लगाया गया कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को अन्तरण नहीं कर सकेगा। इस प्रकार इस आशय का संशोधन भूतलक्षीय प्रभाव से लागू नहीं हुआ । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को ध्यान में रखे बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2012 (1) पेज 227 एवं आर बी जे 2007 पेज 696 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया ।

5. प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किया जावे। साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थीगण ने विक्रेता को अपील में पक्षकार नहीं बनाया है। अतः अपील खारिज की जावे। वादग्रस्त आराजियात अनुसूचित जाति के सदस्य की थी जिसे अपीलार्थीगण जो कि साधारण जाति के व्यक्ति है जिनके द्वारा खरीद की गई है। जो कि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन है। इसलिए अपीलार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने मजीद बहस में बताया कि विक्रेता गणेश पिता प्रताप चमार की ला औलाद मृत्यु हो चुकी है। इसलिए उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है।

7. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात 25.7.1957 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से अपीलार्थीगण/वादीगण लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण/वादीगण सवर्ण जाति के सदस्य हैं एवं तत्कालीन खातेदार गणेश पिता प्रताप चमार अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की आराजियात सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा खातेदारी की भूमि क्रय करना धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंधन है। धारा 42 का संशोधन उपरांत प्रथम प्रभाव दिनांक 2.9.1956 एवं तत्पश्चात दिनांक 1.5.1964 को आया । दिनांक 1.5.64 का संशोधन भूतलक्षी नहीं हैं, जबकि दिनांक 2.9.1956 का प्रभाव भूतलक्षी था । वैसे भी बेचान दिनांक 25.7.57 को किया गया था। जिस समय धाारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रथम संशोधन के साथ प्रभावी था। यह सिद्धान्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2012 (1) पेज 277 में प्रतिपादित किया गया है। जिसमें Proviso deened always to have been so added बताया गया है। द्वितीय संशोधन में बिना भूतलक्षी प्रभाव के दिनांक 1.5. 1964 से लागू किये जाने का प्रावधान है। परन्तु विक्रय के समय तो प्रथम संशोधन दिनांक 22.9.56 ही लागू था। जिसके तहत सवर्ण व्यक्ति द्वारा यदि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से कृषि भूमि क्रय की जाती है तो सवर्ण जाति के व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं तथा इस प्रकार का अन्तरण शून्य प्रभावी माना जाता है। ऐसे विक्रय की स्थिति में भूमिधारी तहसीलदार द्वारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ऐसी आराजियात को जो कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की आराजियता को यदि सवर्ण जाति का व्यक्ति क्रय करता है तो उसे बिलानाम दर्ज किये जाने के प्रावधान है। अपीलार्थीगण द्वारा जो न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं वे अपीलाधीन प्रकरण पर लागू नही होते है। अतः' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलाधीन निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

9. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2007 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

16/11/17

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 104 / 2014

उनवान

1. सुरेन्द्र उर्फ महेन्द्र पुत्र उदा नाई निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. देवेन्द्र पुत्र उदा नाई निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. सुरेश पुत्र उदा नाई निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. लाली पुत्री उदा नाई पत्नि विश्णु नाई निवासी ि ावनगर तहसील हुरडा जिला भीलवाडा हाल निवासी पनोतिया, शाहपुरा जिला भीलवाडा
5. ममता पुत्र शोकिन पत्नी बुद्धिप्रकाश नाई निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा हाल निवासी पनोतिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
6. मदन पिता नन्दा नाई निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
7. शंकर पिता नन्दा नाई निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

.....अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हुरडा जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थी

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 14 / 2004 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2007

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 77 / 2004** मे **उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्िक्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 16.11.2017 को अपीलाण्ट की ओर से श्री गोपाल अजमेरा वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री ओमप्रकाश सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 16.11.2017 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2007 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 16.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड्िक्री जारी की जाती है।

16/11/17

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस